ी 14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

अनिशा खातुन वगै० ....प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

सरफू खान वगै० ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....149....सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदिका अनिशा खातुन वगै0 पति सरफू खाँ, साकिन-रूपायडीह, थाना-बिरनी, जिला-गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-बगोदर मोहल्ला मुस्लिम जामा मस्जिद गली, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह अंतर्गत खाता नं0-185, प्लॉट सं0-2166, रकवा-36 डी0 के मध्ये 18 डी0, चौहद्दीः उ0-मुन्ना कुमार सिंह, द0-चुनु अंसारी, पू0-अरूण कुमार मेमोरियल स्कूल, प0-परती कदीम वो बगोदर हजारीबाग मुख्य मार्ग भूमि में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बगोदर से मांगे। अभिलेख दिनांक......................को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ बगोदर के ज्ञापांक सं0 4040/22 दिनांक 15.11.2022 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 05/1/2023 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 05/1/2023 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
05/1/23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष के द्वारा जवाब:- दाखिल किया गया। अभिलेख दिनांक - 12-01-2023 को रखें।	
12/1/23	उभय पक्ष अनुप० अभिलेख दिनांक 2/2/23 को रखें।	
2/2/23	प्रथम पक्ष वकालतनामा दाखिल। द्वितीय पक्ष उप० उभय पक्ष के विद्वान के अधिवक्ता को सुना। प्रश्नगत भूमि एवं पक्षकारों के बीच वाद सं - 97/2022 के अंतर्गत द.प्र.स. 144 के अंतर्गत इस न्यायालय में चला था। उन्हीं आधारों पर पुनः वाद लाया गया है। वाद सं० 97/2022 में स्पष्ट आदेश किया गया था कि यह मामला मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिस्सेदारी का है, जिसका स्थायी समाधान व्यवहार न्यायालय में ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदन को रिविजन वाद दायर करना चाहिये या व्यवहार	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय में अपना पक्ष हिस्सेदारी हेतु रखना चाहिये। लेकिन आवेदक पुनः द.प्र.स. की धारा-144 के अंतर्गत लाया गया है जो मेरे विचार से उचित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाई को समाप्त किया जाता है। वाद सं० 97/2022 में पारित आदेश इस आदेश का अंश होगा। 2/2/23 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.02 18:11:38 +05:30
Location: 192.168.1.4